आपसी लोक अदालत की भावना से पक्षकार राजीनामा प्रस्तुत कर रहे। प्रतिवादी सं. 3, 6 ता 10 की वादी की बहिनें है ने वादी के हक में हक परित्याग किया है। वाद-पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने व राजीनामा पेश होने से वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी व प्रति. सं. 2 व 4 को राजीनामा के मुताबिक भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। हकपरित्याग स्टाम्प ड्यूटी मुद्रांक पंजीयन शुल्क बरवक्त इन्द्राज शामिल किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। पत्रावली डिक्री जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner